संख्या-46/2025/I/904039/2025/71-1099(099)/3/2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनाँक 11 मार्च, 2025**

विषयः- केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज प्रयागराज में 50 एम0बी0बी0एस0 (यू0जी0) सीटों की वृद्धि हेतु केन्द्रांश एंव राज्यांश की धनराशि एस0एन0ए0 खाते में हस्तांरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2024-25/508, दिनांक 23.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज प्रयागराज में 50 एम0बी0बी0एस0 (यू0जी0) सीटों की वृद्धि हेतु केन्द्रांश के रूप में रू0 24.25 करोड़ की धनराशि एस0एन0ए0 में हस्तांरित किया जाना अवशेष है।

2- अवगत कराना है कि केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-1) के अंतर्गत मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, प्रयागराज में 50 एम0बी0बी0एस0 (यू0जी0) सीटों की वृद्धि हेतु अनुमोदित लागत रू0 60.00 करोड़ के सापेक्ष केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या- U.14017/1/2016-ME-II, दिनांक 09.01.2020 द्वारा रू0 18.57 करोड़, पत्र संख्या- U.14017/1/2016-ME-II, दिनांक 09.01.2020 द्वारा रू0 3.35 करोड़, पत्र संख्या- U.14017/1/2016-ME-II, दिनांक 09.01.2020 द्वारा रू0 2.28 करोड़, पत्र संख्या- U14017/1/2016-ME-II part II, दिनांक 12.10.2020 द्वारा रू0 1.18 करोड़, पत्र संख्या- U14017/1/2016-ME-II part II, दिनांक 12.10.2020 द्वारा रू0 2.36 करोड़ एवं पत्र संख्या- U14017/1/2016-ME-II part II, दिनांक 12.10.2020 द्वारा रू0 8.26 करोड़, इस प्रकार कुल रू0 36.00 करोड़ की धनराशि प्रदान की गयी है। उक्त योजना का फ़ण्डिग पैटर्न 60:40 (केन्द्रांश:राज्यांश) है। उक्त योजनान्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज प्रयागराज हेतु यू0जी0 सीटों की वृद्धि, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत रू0 60.00 करोड़ तथा अनुमन्य/प्राप्त केन्द्रांश एवं अनुमन्य राज्यांश का विवरण निम्नानुसार है:-

(धनराशि रू0 करोड़ में)

कालेज	यू0जी0 सीट वृद्धि	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत	अनुमन्य केन्द्रांश	प्राप्त केन्द्रांश	अनुमन्य राजयांश	एसएनए में हस्तांरित केन्द्रांश	एसएनए में हस्तांरित राज्यांश
1	2	3	4	5	6	7	8
राजकीय मेडिकल कालेज प्रयागराज	50	60.00	36.00	36.00	24.00	11.75	0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-160/2023/1/457052/2023/71-1099(099)/3/2021 दिनांक 27.12.2023 द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-1) के अंतर्गत मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, प्रयागराज में 50 एम0बी0बी0एस0 (यू0जी0) सीटों की वृद्धि के दृष्टिगत भवन निर्माण कार्य (पुनरीक्षित स्वीकृत लागत रू0 4862.35 लाख) हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 1175.00 लाख (केन्द्रांश) की धनराशि पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से एस0एन0ए0 में हस्तांरित की जा चुकी है। इस प्रकार योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त रू0 36.00 करोड़ के सापेक्ष रू0 24.25 करोड़ (36.00-11.75) एस0एन0ए0 खाते में हस्तांरित किया जाना शेष है। योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त रू0 36.00 करोड़ के सापेक्ष 40 प्रतिशत मैंचिंग राज्यांश के रूप में रू0 24.00 करोड़ भी एस0एन0ए0 खाते में हस्तांरित किया जाना है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत उक्त योजनान्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज प्रयागराज में 50 यू0जी0 सीटों की वृद्धि हेतु लेखाशीर्षक-4210-03-105-01-27-राजकीय मेडिकल कालेजों एवं चिकित्सा संस्थानों में एम0बी0बी0एस0 एवं पी0जी0 पाठयक्रमों की सीटों में वृद्धि मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष **रू0 2425.00 लाख (केन्द्रांश)** तथा लेखाशीर्षक-4210-03-105-89-27-राजकीय मेडिकल कालेजों एवं चिकित्सा संस्थानों में एम0बी0बी0एस0 एवं पी0जी0 पाठयक्रमों की सीटों में वृद्धि मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष **रू0 2400.00 लाख (राज्यांश)**, इस प्रकार कुल **रू0 4825.00 लाख (रू0 अड़तालिस करोड़ पच्चीस लाख मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से एस0एन0ए0 खाते में हस्तांतरित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2024/231-2024-दस/294-1-बी/2024/1-दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लागत के सापेक्ष अनुमन्य केन्द्रांश एंव राज्यांश की धनराशि को शासन द्वारा अग्रिम आदेशों के उपरांत ही व्यय की जायेगी।
4. योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला (*1*) रुपये 24,25,00,000 (रुपये चौबीस करोड़ पच्चीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050127 एम0बी0बी0एस0 एवं पीके.) पाठ्ययक्रमों की सीटों में वृद्वि .जी.60-रा.40/के(. **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 24,00,00,000 (रुपये चौबीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031058927 एम0बी0बी0एस0 एवं पीपाठ्ययक्रमों की सीटों में वृद्वि .जी. **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-427/दस-2024-25, दिनांक 10 मार्च 2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज प्रयागराज।
5. अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज।
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।